

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**CENTRAL ZONAL AT BENCH, BHOPAL**

**OA No. 35/2024**

**IN THE MATTER OF:**

**ATUL JAIN**

**...APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF MP & ORS**

**.... RESPONDENTS**

**INDEX**

<b>S. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Annexure</b>	<b>Page</b>
<b>1.</b>	Action Taken Report by MP PCB in compliance of the Hon'ble NGT order dated 23.07.2024		1-5
<b>2.</b>	Affidavit in Support of the Action taken Report		6
<b>3.</b>	List of 13 stone crushers surveyed by MP PCB	Annexure-1	7-8
<b>4.</b>	Letter No. 4363 of the MP PCB dated 04.10.2024	Annexure-2	9-10
<b>5.</b>	Compliances submitted by the Stone Crushers regarding APC measures to the MP PCB	Annexure-3	11-20
<b>6.</b>	Verification Report on APC measures by the MP PCB	Annexure-4	21-32
<b>7.</b>	Letter No. 5189 of Mining Dept. dated 18.08.2021	Annexure-5	33-36
<b>8.</b>	Letter No. 1271 of the MP PCB dated 28.08.2024	Annexure-6	37
<b>9.</b>	Letter No. 1289 of the MP PCB dated 30.08.2024	Annexure-7	38

**FILED BY MP PCB**  
**Through**



**PARULBHADORIA**  
**Advocate for MPPCB**

Ph.No.:(+91)-8085977111  
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

**BHOPAL**

**16.10.2024**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**CENTRAL ZONAL AT BENCH, BHOPAL**

**OA No. 35/2024**

**IN THE MATTER OF:**

**ATUL JAIN**

**...APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF MP & ORS**

**...RESPONDENTS**

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF MP PCB**

A. That in the present case the Board had filed the Joint Committee Report on 21.07.2024.

B. That the Hon'ble Tribunal order dated 23.07.2024 has directed the Board to examine the Joint Committee Report and to take necessary action according to rules and to calculate and realizes compensation in accordance with the parameters laid down by the CPCB. Further action taken report may be filed within three weeks.

C. The recommendations of joint committee report submitted by CPCB to Hon'ble tribunal are as follows:-

***"Recommendation of joint committee report***

- i. MPPCB need to survey for all the stone crushers established earlier and found out as how many got dismantled or dismantling/relocating the crushers and accordingly take appropriate action.*
- ii. The 05 mining query/lease need who has obtain EC from DEIAA needs to obtain Environmental Clearance from SEIAA.*
- iii. MPPCB shall ensure that none of the stone crusher & mining query operates without valid CTO and also ensure that all comply the prescribed consent condition and operate accordingly.*
- iv. MPPCB shall carry out ambient air monitoring during the operational period of the crushers to account the increase in pollution load in comparison to non-operational period.*

- v. *MPPCB shall ensure that both the crushers viz. M/s Sahara Stone Crusher & M/s Vrindavan Stone Crusher not operate within 500 mtrs distance from School area.*
- vi. *Stone crusher shall obtain NOC of CGWB for extracting the ground water.*
- vii. *As observed the cluster of mines and stone crushers are spread on the inter-state boundary of Rewa & Satna and around the M/s UltraTech mine due to which, the crushers established in Satna boundary are transporting material from Rewa boundary. Mining department (jointly Rewa & Satna) needs to carry out survey of mine and stone crushers to whom it sell/transport mined material and also prepare the geo-map of the area. Also keep record of the material mined and processed to avoid illegal mining in the area."*

**MP PCB HAS TAKEN FOLLOWING ACTION IN COMPLIANCE  
TO RECOMMENDATION OF JOINT COMMITTEE.**

1. MP PCB Regional Office Rewa has conducted survey of all stone crushers as mentioned in the OA and found that out of 13 stone crushers, 10 are in operating conditions, list of which is enclosed in **Annexure-1**. These 10 stone crushers have valid Consent To Establish (CTE) and Consent To Operate (CTO) from the Board. The remaining 03 crushers are dismantled/ being dismantled and are not in any condition to operate.
2. The mining quarry lease holders who have obtained the Environment Clearance form DEIAA has validity of EC is only upto 27-10-2024 as per the MOEF&CC Office Memorandum dated 15.03.2024 and their EC have to be reappraised required from the SEIAA. In this regard the letter have been issued to mine owner to obtain EC from SEIAA before above mention date. Letter is also issued to mining department to stop issue of Pit Pass after 27.10.2024 to these mines if validated EC from SEIAA is not obtained. It is further submitted that the Board is complying with the directions of the Hon'ble Tribunal as per the order dated 04.10.2024 and had directed all the

regional officers of the Board to ensure that no mining activity is undertaken by the mines having the EC from DEIAA after 08.11.2024. A copy of the letter dated 04.10.2024 is filed herewith as **Annexure-2**.

**3. (a)** All the 10 stone crushers which are in operating conditions have valid CTO from the Board. The mines connected to the stone crushers have obtained consent from the board.

**(b)** Joint Committee observed minor shortcomings in Air Pollution Control (APC) Measures which needs repair/improvement letter was issued to these crusher units to take corrective measures as per observation noted during the visit. All 10 crusher units have improved/repared the Air Pollution control arrangement and submitted compliance report. The copy of this letter is filed herewith as **Annexure-3**. A committee of officers of MP PCB Regional Office, Rewa was formed to visit and verify these compliances of the stone crusher regarding APC. The Committee visited the concerned crusher units and submitted the report on 14.10.2024 copy of report is enclosed. **Annexure-4**. As per report all 10 crushers have taken corrective measures and improved/repared the APC as per recommendation of joint committee.

**4.** That due to regular rains during the months of August & September the Ambient Air Quality Monitoring could not be done in stone crusher area. Thus the Monitoring will be conducted after rainy season as per recommendations of committee.

**5.** Two stone crusher which was reported within 500 Meter from School. One of that M/s Sahara Stone Crusher is dismantled and no plant & machinery is at the site. The distance of other stone crusher unit M/s Vrindawan stone crusher is more than 500 meter from of School/Abadi Area

as per report submitted by the Revenue Department. A copy of letter is enclosed as **Annexure-5**. The crusher unit has installed necessary Air Pollution Control arrangement.

6. That the Board had directed to all stone crusher unit to obtain NOC from CGWB as per applicable rules. The copy of the letter is filed herewith as **Annexure-6**. It is relevant to mention that most of the stone crusher unit requires water consumption less than 10 KL which doesn't require NOC from CGWB.

7. That the Board, Letters have been issued to the Mining Officers of District Rewa & Satna to conduct survey of cluster of mines established in the boundary of Districts Rewa & Satna and monitor transport of mined material and also prepare geo-map of the area as per recommendation of joint committee. The copy of letter is enclosed **Annexure – 7**.

8. That with regards to the imposition of the EC it is most humbly submitted that as per the Joint Committee had not recommended for environmental compensation on these stone crusher units, so the Board has not imposed the EC.

9. That the Board submits that if the Hon'ble the Tribunal directs for imposition of EC.

10. That the affidavit in support of this action taken report is filed herewith.

**FILED BY MP PCB**

**Through**



**PARULBHADORIA**  
**Advocate for MPPCB**

Ph.No.:(+91)-8085977111

**BHOPAL**

**16.10.2024**



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL  
O. A. No. 35/2024**

**IN THE MATTER OF:**

**ATUL JAIN**

**.....APPLICANT**

**Versus**

**MPPCB & ORS**

**....RESPONDENTS**

**AFFIDAVIT IN SUPPORT OF REPLY**

I, Shanti Prakash Jha S/o Shri Shivananda Jha Aged 60 years, Regional Officer, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Head Office, Rewa and Officer-in-Charge, office at HIG-190, Nehru Nagar, Rewa do hereby solemnly affirm on oath as under:

1. That I am Officer in Charge for Madhya Pradesh Pollution Control Board (Respondent No. 1) in the present matter, and am fully conversant with the facts of the case and therefore competent to swear on this affidavit.
2. That I am filing the present reply in the aforementioned matter to the OA filed before the Hon'ble Tribunal and I have understood the same.
3. That the contents of the Reply are true and correct to the best of my knowledge and the available office records and no material fact is concealed or suppressed.

*[Signature]*  
 Regional Officer  
**DEPONENT**  
 M. P. Pollution Control Board  
 H. I. G. - 190, Nehru Nagar  
 REWA (M. P.)

**VERIFICATION**

I Shanti Prakash Jha the above-named deponent do hereby verify that the contents of the par 1 to 3 of the affidavit above are true and correct.

Signed and verified on this 15 Day of October 2024 at Rewa (MP).

*[Signature]*  
 Regional Officer  
**DEPONENT**  
 M. P. Pollution Control Board  
 H. I. G. - 190, Nehru Nagar  
 REWA (M. P.)



SWORN BEFORE ME  
 THE WISH IN NAMED  
*[Signature]*  
 Rajendra Prasad Tiwari  
 NOTARY, Rewa (M.P.)

*[Signature]*  
 Deponent:

*[Signature]*  
 IDENTIFIED BY ME  
 NAME: *[Signature]*  
 ADDRESS: MPPCB Rewa

**Status of Stone Crusher Operational Under NGT Case No. 35/2024**

<b>S.No.</b>	<b>Name of Stone Crusher</b>
1.	M/s Mahadev Stone Crusher Prop. Shri Sanjay Singh S/o Shri Sheetala Singh Vill. Khamahariya teh. Huzur Distt. Rewa
2.	M/s Trimurti Stone Crusher Prop. Mr. Sateesh Urmalia Vill. Baijnath teh. Huzur Distt. Rewa
3.	M/s M.R. Stone Product Prop. Mr. Alok Singh Vill. Baijnath teh. Huzur Distt. Rewa
4.	M/s Sahara Stone Products Prop. Mr. Akram Siddiqui Vill. Baijnath Kh. No. 464/1 teh. Huzur Distt. Rewa
5.	M/s Brahmsakti Stone Crusher Prop. Mr. Ramsahodar Dwivedi Vill. Baijnath teh. Huzur Distt. Rewa
6.	M/s Narayan Stone Crusher Prop. Mr. Akhilesh Gautam Vill. Bholgarh/Kharmaria teh. Huzur Distt. Rewa
7.	M/s Sharda Stone Crusher Prop. Sharda Prasad Pandey Vill. Bholgarh/Khamaria teh. Huzur Distt. Rewa
8.	M/s Ramprem Stone Prop. Mr. Ambuj Pandey Crusher Vill. Baijnath teh. Huzur Distt. Rewa
9.	M/s Vrindavan Stone Prop. Mr. Shivendra Patel Crusher Vill. Baijnath teh. Huzur Distt. Rewa
10.	M/s Aarush Stone Crusher Prop. Mr. Shrikant Mishra Vill. Bholgarh/Khamaria teh. Huzur Distt. Rewa

**Status of Stone Crusher Dismantled/Being Dismantled Under NGT  
Case No. 35/2024**

<b>S.No.</b>	<b>Name of Stone Crusher</b>
1.	M/s Sahara Stone Products Prop. Mr. Akaram Siddiqui Vill. Baijnath Kh. No. 1439 teh. Huzur Distt. Rewa
2.	M/s Sahara Stone Product Prop. Mr. Akram Siddiqui Vill. Baijnath Kh. No. 1593/1/2 teh. Huzur Distt. Rewa
3.	M/s Sharda Stone Crusher Prop. Mr. Shankarsan Prasad Mishra Vill. Baijnath teh. Huzur Distt. Rewa



## मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016



Tel.No.-0755246428ए 2466191 e-mail: it\_mppcb@rediffmail.com, Web.site www.mppcb.nic.in

क्रमांक  
प्रति,

/तक/प्रतिबो/2024,

भोपाल, दिनांक / /2024

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भोपाल/इंदौर/उज्जैन/धार/गुना/ग्वालियर/सागर/छिन्दवाड़ा

/सतना/रीवा/सिंगरौली/जबलपुर/शहडोल/ कटनी (म.प्र.)


विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच के प्रकरण क्रमांक 142/2022 (जयंत कुमार विरूद्ध पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन व अन्य) के अन्तर्गत दिनांक 08.08.2024 को निराकृत आदेश के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच के प्रकरण क्रमांक 142/2022 (जयंत कुमार विरूद्ध पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन व अन्य) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.08.2024।

विषयांतर्गत संदर्भित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 142/2022 में दिनांक 08.08.2024 को पारित निराकृत आदेश का कृपया अवलोकन हो। प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा निम्नानुसार आदेश दिये गये हैं :-

1. किसी भी नेशनल पार्क, वाइड लाइफ सेंचुरी एवं रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से एक कि.मी की परिधि का क्षेत्र ईको सेंसिटिव जोन निर्धारित किया जाकर इस क्षेत्र में किसी भी तरह का माइनिंग कार्य किया जाना प्रतिबंधित किया गया है।
2. किसी भी जिले की DEIAA द्वारा दिनांक 11.12.2018 के पश्चात् जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों के आधार पर किसी भी खदान का संचालन नहीं किया जायेगा पूर्व में यह दिनांक 13.09.2018 निर्धारित थी।
3. DEIAA द्वारा दिनांक 11.12.2018 तक जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों का, अधिकरण द्वारा आदेश जारी दिनांक 08.08.2024 से 03 माह में SEIAA द्वारा रीएपराईजल किया जाये। इस अवधि में माइनिंग लीज धारक के पक्ष में निर्णय न होने अथवा एपराईजल न होने की स्थिति में ऐसी खदानों का संचालन आदेश दिनांक 08.08.2024 से 03 माह अर्थात् दिनांक 07.11.2024 के उपरांत नहीं किया जावेगा। इस संबंध में आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण संबंधी ओ.एम. भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पृथक से जारी किया जाये।

अधिकरण के संदर्भित आदेश की प्रति भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

  
(ए.ए.मिश्रा)  
सदस्य सचिव



## मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

Tel.No.-07552464289 2466191 e-mail: it\_mpppcb@rediffmail.com, Web.site www.mppcb.nic.in




159

पृ.क्रमांक 4363 /तक/प्रनिबो/2024,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 4/10/2024

1. पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण SEIAA मध्य प्रदेश की ओर माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म अरेरा हिल्स भोपाल की ओर माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. जिलाध्यक्ष- जिला (समस्त) माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. डायरेक्टर पर्यावरण (विधि/प्रशासन) की ओर संदर्भित पत्र क्रमांक 2790 दिनांक 27.08.2024 के तहत सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती पारूल भदौरिया, बोर्ड अधिवक्ता म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

  
(ए.ए.मिश्रा)  
सदस्य साचिव

UDC (L)  
AIX

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी  
क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
जिला रीवा (म.प्र.)

1346  
03/10/24

विषय :- माननीय एनजीटी के प्रकरण क्र. 35/2024 के निर्देश में बनाई गई ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट अनुसार जवाब पत्र।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 1342 दिनांक 05.09.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी के प्रकरण क्र. 35/2024 के आर्डर दिनांक 28.02.2024 के परिपालन में ज्वाइंट कमेटी के निरीक्षण दिनांक 15.05.2024 के दौरान कमेटी द्वारा जो कमियाँ बताई गई थी वो क्षेत्र में आँधी तूफान आने के कारण क्रेशर की कुछ पार्ट एवं एक कन्वेयर कव्हर इत्यादि क्षतिग्रस्त हो गये थे। कमेटी द्वारा बताई गई उपरोक्त कमियों को पूरा कर लिया गया है जिसमें चारो कन्वेयर बेल्ट को कव्हर कर लिया गया है एवं गिट्टी के डिस्चार्ज प्वाइंट पर ड्रम लगा लिया गया है, एवं अन्य जो कमियाँ थी उसे भी पूरा कर लिया गया है।

अतः श्रीमान जी के द्वारा जो भी कमियाँ बताई गई थी, उन सभी कमियों को पूरा कर लिया गया है, जिसकी फोटो आवेदन के साथ संलग्न है। श्रीमान जी के आदेशानुसार समस्त व्यवस्थाएँ स्थापित कर क्रेशर का संचालन किया जा रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रदीप सिंह  
03-10-2024

मेसर्स श्री महादेव स्टोन क्रेशर  
प्रो. श्री प्रदीप सिंह

ग्राम खम्हरिया तह. हुजूर जिला रीवा(म.प्र.)


दिनांक - 03-10-2024

स्चार = रीवा

श्री. महादेव  
Mr. Anand Chakraborty  
8/10/24

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी  
क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
जिला रीवा (म.प्र.)



विषय :- माननीय एनजीटी के प्रकरण क्र. 35/2024 के निर्देश से बनाई गई ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट अनुसार जवाब पत्र।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 1342 दिनांक 05.09.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी के प्रकरण क्र. 35/2024 के आर्डर दिनांक 28.02.2024 के परिपालन में ज्वाइंट कमेटी के निरीक्षण दिनांक 15.05.2024 के दौरान कमेटी द्वारा 02 कमियों बताई गई थी, कन्वेयर बेल्ट को ग्रीन नेट की जगह टीन सेड से कव्हर करना एवं मेटैलिक रोड बनना। कमेटी द्वारा बताई गई उपरोक्त कमियों को पूरा कर लिया गया है जिसमें चारो कन्वेयर बेल्ट को टीन सेड से कव्हर कर लिया गया है एवं मेटैलिक रोड बना ली गई है एवं अन्य जो कमियां थी उसे भी पूरा कर लिया गया है।

अतः श्रीमान जी के द्वारा जो भी कमियां बताई गई थी, उन सभी कमियों को पूरा कर लिया गया है, जिसकी फोटोग्राफ आवेदन के साथ संलग्न है। श्रीमान जी के आदेशानुसार समस्त व्यवस्थाए स्थापित कर क्रेशर का संचालन किया जा रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

Dr. Tiwari  
24/09/24

श्रीमान जी के द्वारा  
4/9/24

मेसर्स त्रिमूर्ति स्टोन क्रेशर  
पार्टनर श्री सतीश उर्मलिया  
ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा(म.प्र.)

1348  
3/10/24

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

बिषय:-माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्र. ओ.ए. 35/2024 के निर्देश मे गठित ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही बावत् ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्र. 1342 दिनांक 05.09.2024,

महोदय,

कृपया सन्दर्भित बिषयान्तर्गत माननीय न्यायालय मे ज्वाइंट कमेटी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन में 09 बिन्दुओं की यथा स्थिति एवं मेरे द्वारा किये गये सम्मति शर्तों के पालन की कार्यवाही से संतुष्टि जाहिर की गई है ।

ज्वाइंट कमेटी द्वारा वाउण्ट्रीवाल का कुछ अंश भाग क्षतिग्रस्त अवलोकित किया गया था तत्समय ही निरीक्षण दिनांक 15.05.2024 के बाद सुधार कार्य पूर्ण कर लिया गया था । जिसका वर्तमान का फोटोग्राफ संलग्न है ।

कमेटी के निरीक्षण मे इन्टर्नल रोड मेन्टल्ड नही पाई गई थी जिसे भौगोलिक एवं इकाई की स्थिति अनुसार इकाई द्वारा डब्लू.बी.एम. बना ली गई है और भविष्य मे सुदृढ़ कर लिया जायेगा । वर्तमान मानसून सत्र में नियमानुसार तीन पंक्तियों (03 Row) मे लगभग 350 नग पौधारोपण किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी एवं कमियों की पूर्ति की अद्यतन स्थिति फोटो ग्राफ के साथ संलग्न कर प्रेषित है ।

कृपया माननीय न्यायलय से इकाई के विरुद्ध प्रचलित प्रकरण डिस्पोज्ड कराने का कष्ट करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार,

29/09/2024


35.8204  
Jhu  
3/10

Mr. Anil Chaur  
10  
8/10/24

भवदीय  
Atok Singh  
29/09/2024  
( मे. एम.आर. स्टोन प्रोडक्ट्स एण्ड माईस )  
ग्राम -बैजनाथ,तहसील-हुजूर,  
जिला-रीवा (म.प्र.)

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)



बिषय:-माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क. ओ.ए. 35/2024 के निर्देश मे गठित ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही बावत् ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क. 1342 दिनांक 05.09.2024,

महोदय,

कृपया सन्दर्भित बिषयान्तर्गत माननीय न्यायालय मे ज्वाइंट कमेटी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन में 09 बिन्दुओं की यथा स्थिति एवं मेरे द्वारा किये गये सम्मति शर्तों के पालन की कार्यवाही से संतुष्टि जाहिर की गई है ।

ज्वाइंट कमेटी द्वारा जल छिड़काव की व्यवस्था प्राइमरी केशर मे खराब (डैमज) पाई गई थी जो कि उक्त समय आँधी-तूफान (अंधड़) की वजह से प्रभावित थी जिसे तत्समय ही निरीक्षण दिनांक 15.05.2024 के बाद सुधार कार्य पूर्ण कर लिया गया था। जिसका वर्तमान का फोटोग्राफ संलग्न है ।

कमेटी के निरीक्षण मे इन्टर्नल रोड मेन्टल्ड नही पाई गई थी जिसे भौगोलिक एवं इकाई की स्थिति अनुसार इकाई द्वारा डब्लू.बी.एम. बना ली गई है और भविष्य मे सुदृढ़ कर लिया जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी एवं कमियों की पूर्ति की अद्यतन स्थिति फोटो ग्राफ के साथ संलग्न कर प्रेषित है ।

कृपया माननीय न्यायालय से इकाई के विरुद्ध प्रचलित प्रकरण डिस्पोज्ड कराने का कष्ट करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार,

भवदीय  
( मे. सहारा स्टेशन प्रोडक्ट्स ) 29/09/24  
ग्राम -बैजनाथ,तहसील-हुजूर,  
जिला-रीवा (म.प्र.)

29/09/2024  
Mr. Anil Chakraborty  
कर्मचारी

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
जिला रीवा (म.प्र.)

B58  
3/10/24

विषय :- माननीय एनजीटी के प्रकरण क्र. 35/2024 के निर्देश में बनाई गई ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट अनुसार जवाब पत्र।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 1342 दिनांक 05.09.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी के प्रकरण क्र. 35/2024 के आर्डर दिनांक 28.02.2024 के परिपालन में ज्वाइंट कमेटी के निरीक्षण दिनांक 15.05.2024 के दौरान कमेटी द्वारा जो कमियाँ बताई गई थी वो क्षेत्र में भयानक आधी तूफान आने के कारण क्रेशर की कुछ पार्ट एवं कन्वेयर कव्हर इत्यादि क्षतिग्रस्त हो गये थे। कमेटी द्वारा बताई गई उपरोक्त कमियों को पूरा कर लिया गया है जिसमें कन्वेयर बेल्ट को तीन सेड से कव्हर कर लिया गया है एवं गिट्टी के डिस्चार्ज प्वाइंट पर बेल्ट लगा लिया गया है, एवं अन्य जो कमियाँ थी उसे भी पूरा कर लिया गया है।

अतः श्रीमान जी के द्वारा जो भी कमियाँ बताई गई थी, उन सभी कमियों को पूरा कर लिया गया है, जिसकी फोटो आवेदन के साथ संलग्न है। श्रीमान जी के आदेशानुसार समस्त व्यवस्थाएँ स्थापित कर क्रेशर का संचालन किया जा रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


*[Signature]*  
30/09/24

स्थान :- रीवा

दिनांक :- 28/09/2024

मेसर्स ब्रम्हशक्ति स्टोन क्रेशर  
प्रो. श्री रामसहोदर द्विवेदी  
ग्राम हिनौती तह. हुजूर जिला रीवा(म.प्र.)

*[Signature]*  
3/10  
*[Signature]*  
30/09/2024



प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा (म.प्र.)

विषय:-माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क. ओ.ए. 35/2024 के निर्देश में गठित

ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही बावत् ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क. 1342 दिनांक 05.09.2024,

महोदय,

कृपया सन्दर्भित विषयान्तर्गत माननीय न्यायालय में ज्वाइंट कमेटी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन में 09 बिन्दुओं की यथा स्थिति एवं मेरे द्वारा किये गये सम्मति शर्तों के पालन की कार्यवाही से संतुष्टि जाहिर की गई है।

ज्वाइंट कमेटी द्वारा प्राइमरी क्रेशर को आंशिक तौर पर ढका व बताया गया जिसका कार्य पूर्ण कर लिया गया। जल छिड़काव की व्यवस्था प्राइमरी एवं सेकण्डरी केशर में पूर्ण कर ली गई थी, जो उक्त समय आँधी-तूफान (अंधड़) की वजह से प्रभावित थी जिसे तत्समय ही निरीक्षण दिनांक 17.05.2024 के बाद सुधार कार्य पूर्ण कर लिया गया था।

कमेटी के निरीक्षण में इन्टर्नल रोड मेन्टल्ड नहीं पाई गई थी जिसे भौगोलिक एवं इकाई की स्थिति अनुसार इकाई द्वारा डब्लू.बी.एम. बना ली गई है और भविष्य में सुदृढ कर लिया जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी एवं कमियों की पूर्ति की अद्यतन स्थिति फोटो ग्राफ के साथ संलग्न कर प्रेषित है। कृपया माननीय न्यायालय से इकाई के विरुद्ध प्रचलित प्रकरण डिस्पोज्ड कराने का कष्ट करें ।

दिनांक: 08/10/2024

भवदीय

मे. नारायण स्टोन क्रेशर  
ग्राम-भोलगढ़, तहसील-हुजूर,  
जिला-रीवा (म.प्र.)

Dr. T. Mani  
10/10/24

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी  
क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- माननीय एनजीटी के प्रकरण क्र. 35/2024 के निर्देश मे बनाई गई ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट अनुसार जवाब पत्र।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 1342 दिनांक 05.09.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी के प्रकरण क्र. 35/2024 के आर्डर दिनांक 28.02.2024 के परिपालन में ज्वाइंट कमेटी के निरीक्षण दिनांक 15.05.2024 के दौरान कमेटी द्वारा जो कमियाँ बताई गई थी वो क्षेत्र में आँधी तूफान आने के कारण क्रेशर की कुछ पार्ट एवं एक कन्वेयर कव्हर इत्यादि क्षतिग्रस्त हो गये थे। कमेटी द्वारा बताई गई उपरोक्त कमियो को पूरा कर लिया गया है जिसमें चारो कन्वेयर बेल्ट को कव्हर कर लिया गया है, गिट्टी के डिस्चार्ज प्वाइंट पर ड्रम लगा लिया गया है, एवं अन्य जो कमियाँ थी उसे भी पूरा कर लिया गया है।

अतः श्रीमान जी के द्वारा जो भी कमियाँ बताई गई थी, उन सभी कमियों को पूरा कर लिया गया है, जिसकी फोटो आवेदन के साथ संलग्न है। श्रीमान जी के आदेशानुसार समस्त व्यवस्थाए स्थापित कर क्रेशर का संचालन किया जा रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

दिनांक 10/10/24

शा. 221, प्रसाद  
मेसर्स शारदा स्टोन क्रेशर  
प्रो. शारदा पाण्डेय  
ग्राम खम्हरिया तह. हुजूर जिला रीवा(म.प्र.)

Dr. Twan  
10/10/24

1409  
14/10/24

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा (म.प्र.)  
विषय:-माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क. ओ.ए. 35/2024 के निर्देश में गठित  
ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही बावत् ।  
सन्दर्भ:- आपका पत्र क. 1342 दिनांक 05.09.2024,

महोदय,

कृपया सन्दर्भित विषयान्तर्गत माननीय न्यायालय में ज्वाइंट कमेटी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन में 09 बिन्दुओं की यथा स्थिति एवं मेरे द्वारा किये गये सम्मति शर्तों के पालन की कार्यवाही से संतुष्टि जाहिर की गई है।

ज्वाइंट कमेटी द्वारा प्राइमरी क्रेशर को आंशिक तौर पर ढका व बताया गया जिसका कार्य पूर्ण कर लिया गया। जल छिड़काव की व्यवस्था प्राइमरी एवं सेकण्डरी केशर में पूर्ण कर ली गई थी, जो उक्त समय आँधी-तूफान (अंधड़) की वजह से प्रभावित थी जिसे तत्समय ही निरीक्षण दिनांक 15.05.2024 के बाद सुधार कार्य पूर्ण कर लिया गया था।

कमेटी के निरीक्षण में इन्टर्नल रोड मेन्टल्ड नहीं पाई गई थी जिसे भौगोलिक एवं इकाई की स्थिति अनुसार इकाई द्वारा डब्लू.बी.एम. बना ली गई है और भविष्य में सुदृढ कर लिया जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी एवं कमियों की पूर्ति की अद्यतन स्थिति फोटो ग्राफ के साथ संलग्न कर प्रेषित है। कृपया माननीय न्यायालय से इकाई के विरुद्ध प्रचलित प्रकरण डिस्पोज्ड कराने का कष्ट करें ।

दिनांक 08/10/2024

भवदीय

मे. श्रीराम प्रेम स्टोन क्रेशर  
ग्राम-बैजनाथ, तहसील-हुजूर,  
जिला-रीवा (म.प्र.)

Dr. Anurag  
15/10

प्रति,

क्षेत्रीय कार्यालय,  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
एच.आई.जी. 190-191 नेहरू नगर  
रीवा (म.प्र.)

1359  
3/10/24

विषय:- माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र. 35/2024 के निर्देश में बनाई गई  
ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट अनुसार जबाव पत्र।  
संदर्भ:- ज्वाइंट कमेटी द्वारा किया गया निरीक्षण दिनांक 15.05.2024 के संदर्भ  
में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि एन.जी.टी. क्र.35/2024 में दिये गये आर्डर दिनांक 28.02.2024 के परिपालन में ज्वाइंट कमेटी के निरीक्षण दिनांक 15.05.2024 के दौरान केशर में जो कमियां पाई गई थी उन कमियों को श्रीमान् जी के आदेशानुसार पूरी कर ली गई है, जिसमें प्राइमरी, सेकण्ड्री और कनवेयरो को पूरी तरह से कनवर्ड कर लिया गया है, जिसकी छायाप्रति जबाव के साथ में संलग्न है जो कमियां श्रीमान् जी के द्वारा पाई गई थी, उसके एक दिन पहले आंधी और तूफान बहुत जोर से आया था, जिसके कारण सेकण्ड्री के टीन उड़ गये थे, साथ में कनवेयरो के टीने और भी कई जगहों की टीन तेज हवाओं के कारण उड़ गये थे, जिसे अब सब कमियां पूरी कर ली गई है।

अतः उल्लेखनीय है कि श्रीमान् जी के द्वारा जो भी कमियां बताई गई थी, उन सभी कमियों को पूरा कर लिया गया है, जिसकी पूरी फोटो सहित छायाप्रतियां आवेदन के साथ संलग्न है।

अतः श्रीमान् जी के द्वारा दिनांक 14.10.202 को 11,87,500/- (ग्यारह लाख सतासी हजार पांच सौ रुपये) का जुर्माना लगाया गया था, उस जुर्माने की राशि को 11,87,00/- दिनांक 29.10.2022 को जमा किया जा चुका है, जिसकी रसीद की छायाप्रति एवं आदेश जबाव के साथ संलग्न है।

अतः श्रीमान् जी के आदेशानुसार जबाव पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति फोटो सहित संलग्न है।

प्रार्थी

वृन्दावन स्टोन केशर  
वृन्दावन स्टोन केशर  
बैजनाथ जिला प्रोप्रीटर (म.प्र.)

दिनांक 30/09/24

30/09/24  
3/10

an mil chalu  
3/10/24

1407  
14/10/24

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा (म.प्र.)

विषय:-माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क. ओ.ए. 35/2024 के निर्देश में गठित  
ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही बावत् ।  
सन्दर्भ:- आपका पत्र क. 1342 दिनांक 05.09.2024,

महोदय,

कृपया सन्दर्भित विषयान्तर्गत माननीय न्यायालय में ज्वाइंट कमेटी द्वारा प्रस्तुत  
निरीक्षण प्रतिवेदन में 09 बिन्दुओं की यथा स्थिति एवं मेरे द्वारा किये गये सम्मति शर्तों  
के पालन की कार्यवाही से संतुष्टि जाहिर की गई है।

ज्वाइंट कमेटी द्वारा प्राइमरी केशर को आंशिक तौर पर ढका व बताया गया  
जिसका कार्य पूर्ण कर लिया गया। जल छिड़काव की व्यवस्था प्राइमरी एवं सेकण्डरी  
केशर में पूर्ण कर ली गई थी, जो उक्त समय आँधी-तूफान (अंधड़) की वजह से  
प्रभावित थी जिसे तत्समय ही निरीक्षण दिनांक 17.05.2024 के बाद सुधार कार्य पूर्ण  
कर लिया गया था।

कमेटी के निरीक्षण में इन्टर्नल रोड मेन्टल्ड नहीं पाई गई थी जिसे भौगोलिक  
एवं इकाई की स्थिति अनुसार इकाई द्वारा डब्लू.बी.एम. बना ली गई है और भविष्य में  
सुदृढ कर लिया जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी एवं कमियों की पूर्ति की  
अद्यतन स्थिति फोटो ग्राफ के साथ संलग्न कर प्रेषित है। कृपया माननीय न्यायालय से  
इकाई के विरुद्ध प्रचलित प्रकरण डिस्पोज्ड कराने का कष्ट करें ।

दिनांक: 08/10/2024

Chankant  
भवेदीय

मे. आरुष स्टोन केशर  
ग्राम-भोलगढ़, तहसील-हुजूर,  
जिला-रीवा (म.प्र.)

31.10.24  
10/11/24

24/8/24-3

**Compliance Status of Stone Crusher Units. Some observation were noted by joint committee visit on 15.05.2024 in stone crusher units which requires minor improvement in Air Pollution Control arrangements. A committee of officers of R.O. Regional Officer Rewa visited which on 13.10.2024. Committee noted the Modification/Improvement done for Air Pollution Control in stone crusher units as follows.**


S. N o	Serial no. of Stone Crushers as per petition	Name of the Stone Crusher	Field observation as on 15.5.2024 (Which requires improvement)	Field observation as on 13.10.2024
1.	14	M/s Mahadev Stone Crusher  Prop. Shri Sanjay Singh S/o Shri Sheetala Singh Vill. Khamahariya teh. Huzur Distt. Rewa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primary, Secondary jaw crusher were Partially Covered</li> <li>03 Conveyor belts were found covered out of total 4.</li> <li>NO telescopic chutes were provided at discharge point of conveyor belt.</li> <li>Metaled road was not provided inside the premises.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primary, Secondary jaw crusher is fully Covered.</li> <li>04 Conveyor belts are found covered.</li> <li>Telescopic chutes were provided at discharge point of conveyor belt.</li> <li>WBM road is provided inside the premises.</li> </ul>
2.	15	M/s Trimurti Stone Crusher  Prop. Mr. Sateesh Urmalia Vill. Bajinath teh. Huzur Distt. Rewa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conveyor belt was covered with green net (NO Tin covering was observed)</li> <li>Metaled road was not provided inside the premises.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conveyor belt is covered with Tin Shed.</li> <li>WBM road is provided inside the premises.</li> </ul>


3.	16	M/s M.R. Stone Product Prop. Mr. Alok Singh Vill. Bajjnath teh. Huzur Distt. Rewa	<ul style="list-style-type: none"> <li>No Sprinklers were observed in primary &amp; secondary crusher.</li> <li>Internal road was not metaled.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprinklers are provided in primary &amp; secondary crusher.</li> <li>Internal road is WBM Constructed.</li> </ul>
4.	19	M/s Sahara Stone Products Prop. Mr. Akram Siddiqui Vill. Bajjnath Kh. No. 464/1 teh. Huzur Distt. Rewa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telescopic chutes were provided on the conveyors.</li> <li>Internal road was not metaled.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telescopic chutes are provided on the conveyors.</li> <li>Internal road is WBM Provided.</li> </ul>
5.	20	M/s Brahmshakti Stone Crusher Prop. Mr. Ramsahodar Dwivedi Vill. Bajjnath teh. Huzur Distt. Rewa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conveyor belts were not covered.</li> <li>Telescopic chutes were not provided on the discharge point of the belts.</li> <li>No Sprinklers were observed in primary &amp; secondary crusher</li> <li>Kutchha Road were observed inside the unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conveyor belts is covered.</li> <li>Telescopic chutes provided on the discharge point of the belts.</li> <li>Sprinklers are observed in primary &amp; secondary crusher</li> <li>WBM Road are observed inside the unit</li> </ul>
6.	21	M/s Narayan Stone Crusher Prop. Mr. Akhilesh Gautam Vill. Bholgarh/Kharmari a teh. Huzur Distt. Rewa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conveyor belts were not covered.</li> <li>No telescopic chutes were provided on the discharge point of the belts.</li> <li>Observed less plantation with small samplings.</li> <li>The road inside the premise was not metaled.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conveyor belts is covered.</li> <li>Telescopic chutes are provided on the discharge point of the belts.</li> <li>Observed more plantation with small samplings.</li> <li>The road inside the premise is WBM.</li> </ul>


7.	22	<p>M/s Sharda Stone Crusher</p> <p>Prop. Sharda Prasad Pandey Vill. Bholgarh/Khamaria teh. Huzur Distt. Rewa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primary &amp; secondary crushers were found partially covered.</li> <li>• Conveyor belts were not covered.</li> <li>• No telescopic chutes were provided on the discharge point of the belt.</li> <li>• Plantation was NIL.</li> <li>• No wind braking wall was found erected.</li> <li>• No water sprinkling arrangements were made.</li> <li>• Road inside the premises was not metaled.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primary &amp; secondary crushers are found covered.</li> <li>• Conveyor belts is covered.</li> <li>• Telescopic chutes are provided on the discharge point of the belt.</li> <li>• Plantation is done.</li> <li>• Wind braking wall was found erected.</li> <li>• Water sprinkling arrangements is made.</li> <li>• Road inside the premises is WBM.</li> </ul>
8.	23	<p>M/s Ramprem Stone Crusher</p> <p>Prop. Mr. Ambuj Pandey Vill. Baijnath teh. Huzur Distt. Rewa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primary Crusher was partially covered (repairing work was ongoing due the bearing failure)</li> <li>• No covering was observed on the conveyor belts.</li> <li>• Telescopic chutes were not provided on the conveyor belts.</li> <li>• Very a smaller number of plants viz. 5 to 6 plants having height of 3-4fts.</li> <li>• No metaled road observed inside the premises.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primary Crusher is covered.</li> <li>• covering is observed on the conveyor belts.</li> <li>• Telescopic chutes is provided on the conveyor belts.</li> <li>• Plantation is being done</li> <li>• WBM road is provided inside the premises.</li> </ul>
9.	25	<p>M/s Vrindavan Stone Crusher</p> <p>Prop. Mr. Shivendra</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No telescopic chutes were provided at the discharge point of the belt.</li> <li>• No metaled road was observed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telescopic chutes are provided at the discharge point of the belt.</li> <li>• WBM road is provided inside</li> </ul>

		Patel Crusher Vill. Bajjnath teh. Huzur Distt. Rewa	inside the premises.	the premises.
10.	26	M/s Aarush Stone Crusher  Prop. Mr. Shrikant Mishra Vill. Bholgarh/Khamaria teh. Huzur Distt. Rewa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conveyor Belt are not covered.</li> <li>• No Telescopic chutes were provided on the conveyor belt discharge point.</li> <li>• Plantation found very scanty only 5-6 plants were observed.</li> <li>• Internal road was not metaled.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conveyor Belt is covered.</li> <li>• Telescopic chutes is provided on the conveyor belt discharge point.</li> <li>• 30 No. Plants Planted.</li> <li>• Internal road is Provided.</li> </ul>

**Note :- 03 Other stone Crusher are dismantled and closed the units.**

  
**R.N. Chatruvedi**  
 (Ass. Draft Man)  
 M.P. Pollution Control Board  
 Rewa (M.P.)

  
**Dr. Shubhi Madam**  
 Junior Scientist  
 M.P. Pollution Control Board  
 Rewa (M.P.)

  
**Dr. Ashok Tiwari**  
 Junior Scientist  
 M.P. Pollution Control Board  
 Rewa (M.P.)

M/s M.R. Stone Crusher



M/s Bramah Shakti Stone Crusher



M/s Vrindawan Stone Crusher




M/s Trimurti Stone Crusher



M/s Mahadev Stone Crusher




M/s Aarushi Stone Crusher



M/s Sarda stone crusher



M/s Sahara Stone Crusher



M/s Ramprema Stone Crusher



## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा (म.प्र.)

E Mail:- modgrew@mp.ogv.in

क्रमांक / 5189 / खनिज / 2021

रीवा, दिनांक 13/08/2021

प्रति,

✓ क्षेत्रीय अधिकारी,  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
जिला रीवा (म.प्र.)



विषय :- मेसर्स वृन्दावन स्टोन क्रेशर प्रो. श्री शिवेन्द्र सिंह ग्राम बेजवती, जिला रीवा से आबादी क्षेत्र की दूरी की जानकारी विषयक।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 1850/क्षे.का./प्र.नि.बो. रीवा दिनांक 13.08.2021

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से वांछित जानकारी के संबंध में लेख है कि कार्यालयीन अभिलेखों के परीक्षण उपरांत खनिज व्यापारी अनुज्ञापति हेतु आवेदक मेसर्स वृन्दावन स्टोन क्रेशर प्रो. श्री शिवेन्द्र सिंह के आवेदन के संबंध में नायब तहसीलदार वृत्त बनकुईयां तहसील हुजूर ग्रामीण जिला रीवा से प्राप्त पत्र क्र. 134/रीडर/वृत्त बनकुईयां/2019 रीवा दिनांक 12/06/2019 के अनुसार "ग्राम की आबादी से आवेदित क्षेत्र की दूरी लगभग 1/2 कि.मी. से अधिक" होने का लेख किया गया है, जो संलग्न कर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- तहसीलदार का पत्र।

प्रभारी अधिकारी खनिज  
हेतु कलेक्टर, जिला रीवा (म.प्र.)

Dr. Ashu 7/2  
23/8

कार्यालय नायब तहसीलदार वृत्त बनकुइयां  
तहसील हुजूर ग्रामीण जिला रीवा (म.प्र.)

रीवा/रीडर/वृत्त बनकुइयां/ 2019

रीवा,दिनांक 12/06/2019

कलेक्टर महोदय,  
(खनिज शाखा) जिला रीवा (म.प्र.)

उ-ग्राम बैजनाथ तह.हुजूर राजस्व निरीक्षक मण्डल बनकुइयां पटवारी हल्का बैजनाथ के  
खसरा नम्बर 1223 रकवा 0.364 हे. में खनिज पत्थर गिट्टी डस्ट हेतु मेसर्स बृन्दावन  
स्टोन केशर प्रो. शिवेन्द्र सिंह द्वारा व्यापारिक अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र।

हर्द-श्रीमान् का पत्र क्रमांक 4201/खनिज/2019 रीवा,दिनांक 07.06.2019

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला रीवा म.प्र. के  
क्र क्रमांक 4201/खनिज/2019 रीवा,दिनांक 07.06.2019के द्वारा मेसर्स बृन्दावन स्टोन केशर  
प्रो शिवेन्द्र सिंह ग्राम बैजनाथ तहसील हुजूर जिला रीवा के खसरा क्रमांक 1223 रकवा 0.364  
हे. में व्यापारिक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी बैजनाथ से  
वस्तुस्थिति का निर्धारित प्रपत्र-4 पर प्रतिवेदन लिया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन अनुसंसा  
सहपत्र सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

नायब तहसीलदार  
सर्किल बनकुइयां  
तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)



17.	जिजी भूमि के मामले में यदि भूमि अर्जित की जाती है तो प्रति-पूर्ति मुआवजा का अनुमानित राशि प्रति एकड़/वर्तमान मूल्य।	निम्नलिखित
18.	भूमि स्वामी का भूमि खनिज दोहन हेतु अर्जित किये जाने पर भूमि स्वामी भूमि हीन तो नहीं हो जायेगा। क्या भूमि स्वामी ने पहले भी अन्य प्रकरण में अपनी सहमति दी है, यदि हां तो नाम व पता।	नहीं हाँ रामेश शर्मा (पिता) वाराणसी
19.	अशासकीय भूमि के मामले में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी दें- फसल का नाम-एक फसली का रकवा दो फसली का रकवा। भूमि स्वामी की सहमति है या नहीं क्या क्षेत्र पड़ती है यदि हां तो कितने वर्ष से। क्या भूमि रूहन या गिरवी है। आवेदित क्षेत्र में पेड़ों की स्थिति बाग या फलदार वृक्ष राष्ट्रीय वनोपज की संख्या। भूमि स्वामी हरिजन या आदिवासी है- भूमि स्वामी के पास कुल कितनी भूमि है- शासन द्वारा भूमि स्वामी को भूमि वांछित (अलाटेड) तो नहीं की गई है।	फसल हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं
20.	आवेदित क्षेत्र माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका क्र. 202/95 में परिभाषित क्षेत्र की श्रेणी के अंतर्गत तो नहीं आता है।	नहीं
21.	यदि आवेदित क्षेत्र में खनिज रियायत स्वीकृति कर दी जाती है तो अन्य कोई वैधानिक अड़चन तो न होगी तर्क सहित स्पष्ट करें।	नहीं
22.	आवेदित क्षेत्र नया है या पूर्व में इसी क्षेत्र पर खनिजपट्टा/उत्खननपट्टा/पूर्वक्षण अनुज्ञापति स्वीकृत था। अन्य आवश्यक जानकारी।	

सहपत्र- मानचित्र उद्घोषणा-पत्र

पटवारी .....  
ग्राम .....  
पठान .....  
तहसील .....

# ANNEXURE-6

संलग्नक-5



## क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

एच.आई.जी.190-191 नेहरु नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक / 1271 / क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2024

रीवा, दिनांक 28/8/24

प्रति,

1. मे. महादेव स्टोन क्रेशर ग्राम भोलगढ़/खम्हरिया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
2. मे. त्रिमूर्ति स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
3. मे. एम.आर. स्टोन प्रोडक्ट ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
4. मे. सहारा स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
5. मे. ब्रम्हशक्ति स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
6. मे. नारायण स्टोन क्रेशर ग्राम भोलगढ़/खम्हरिया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
7. मे. शारदा स्टोन क्रेशर ग्राम भोलगढ़/खम्हरिया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
8. मे. रामप्रेम स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
9. मे. वृन्दावन स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
10. मे. आरूष स्टोन क्रेशर ग्राम भोलगढ़/खम्हरिया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- उद्योग को जल खपत हेतु सेंट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई संचालित की जा रही है जिसमे औद्योगिक प्रक्रिया मे जल खपत हेतु केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्लू.बी.) से अनुमति/अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करे।

(एस.पी. झा)

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

जिला रीवा (म.प्र.)

# ANNEXURE-7

सतना-6



क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 297605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक / प्रति, 1289

/क्षे.का/तक./प्रनिबो/2024

रीवा, दिनांक 29/8/24

1. खनिज अधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)
2. खनिज अधिकारी जिला सतना (म.प्र.)

विषय :- माननीय एनजीटी सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 35/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन बावत्।

- संदर्भ:-
1. माननीय एनजीटी सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 35/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024
  3. माननीय एनजीटी सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल द्वारा अधिकत ज्वाइट कमेटी की रिपोर्ट का अनुपालन बावत्।


उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एनजीटी सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 35/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के निर्देशानुसार रीवा जिले के ग्राम बैजनाथ, हिनौती के क्षेत्र एवं समीपस्थ सतना जिले में स्थापित एवं संचालित पत्थर खदानों के क्लस्टर में उत्खनन तथा खनिजों के परिवहन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

**As observed the cluster of mines and stone crushers are spread on the inter-state boundary of Rewa & Satna and around the M/s UltraTech mine due to which, the crushers established in Satna boundary are transporting material from Rewa boundary. Mining department (jointly Rewa & Satna) needs to carry out survey of mine and stone crushers to whom it sell/transport mined material and also prepare the geo-map of the area. Also keep record of the material mined and processed to avoid illegal mining in the area.**

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर कृपया इस कार्यालय को अवगत कराये जिससे माननीय एनजीटी को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्न :- 1. एनजीटी आदेश दिनांक 23.07.2024

2. ज्वाइट कमेटी रिपोर्ट की अनुसंशा।



(एस.पी. झा)

क्षेत्रीय अधिकारी

रीवा, दिनांक .....

पु.क्रमांक / प्रतिलिपि :- /क्षे.का/तक./प्रनिबो/2024.

1. माननीय कलेक्टर महोदय जिला रीवा/सतना की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय डेकहा जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस.पी. झा)

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

रीवा (म.प्र.)